कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी, नगर विकास परियोजनायें, जयपुर ।

(जयपुर विकास प्राधिकरण भवन)

क्रमांक भू/अ/नावि/9। दिनांक 11-6-1991

विषय:- जयपुर विकास प्राधिकरण को अपने कृत्यों के निर्वहन व विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु ग्राम धाउवास में भूमि अवाप्ति बाबत ।(पृथ्वीराज नगर योजना)

मुकदमा नम्बर :-

1. 173/88
2. 174/88
3. 175/88
4. 176/88

-: अ वा र्ड :-

उपरोक्त क्रियान्तर्गत भूमि को अवाप्ति हेतु राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 (1984 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या-1) की धारा-4 (1) के तहत क्रमांक प॰ 6(15) नविआ/11/87 दिनांक 6-1-1988 तथा ग जट प्रकाशन राजस्थान राज पत्र 7 जुलाई, 1988 को कराया गया ।

भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा 5 ए की रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजने के उपरांत राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा-6 के प्रावधानों के अन्तर्गत धारा 6 का गजट प्रकाशन क्रमांक प-6(15)नविआ/3/87 दिनांक 28-7-89 का प्रकाशन राजस्थान राजपत्र 31 जुलाई, 1989 को किया गया ।

राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा जो धारा 6 का गजट प्रकाशन कराया गया उसमें ग्राम धाउवास तहसील जयपुर में अवाप्तिधीन भूमि की स्थिति इस प्रकार बताई गई है :-

क्र॰सं॰	मुकदमा नं0	खसरा नं0	अवाप्तिधीन भूमि का रकबा बीघा-बिस्वा	खातेदार/हितदार का नाम
1.	2.	3.	4.	5.
1.	173/88	237	10-11	मु॰ मांगी बेवा छीता 1/2 भूरा पु॰ लक्ष्मीनारायण जा॰ गुजर 1/2 सा॰ देह॰
		238	9-00	भवण, नाथू, कालू, पि॰ मांगू, जा॰ गुजर, 1/4 व छोट पु॰ मांगू, हि॰ 3/4 उपरोक्त
		239	07-18	भूरा पु॰ लक्ष्मीनारायण गुजर
		240	16-00	उपरोक्त

1.	2.	3.	4.	5.
2.	174/88	241	12-10	रामेश्वर पु• काना 1/2 भूरा पु• लक्ष्मीनारायण1/2
3.	175/88	242	00-15	रामनाथ पु• हरदेव2/3व्वा, रामचन्द्र पि• हरदेव1/3 कौम रैगर•
		243	13-04	-उपरोक्त-
4.	176/88	244	04-16	हरदेव पुत्र गंगानाथ जा• रैगर
		245	01-14	•• •• ••
		246	00-04	•• ••
		247	13-01	हरदेव पु•गंगाराम ब• नं244•

मुकदमा नं0 173/88, खसरा नं0 237, रकबा 10 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नं0 238, रकबा 9-00बीघा खसरा नं0 239, 7 बीघा 18 बिस्वा, खसरा 240, 16 बीघा•

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन मे खसरा नं0 237, मु• मांगी बेवा झूंगा मीणा 1/2, भूरा पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति गुजर 1/2, खसरा नं0 238 व 239 मदन, नाथू, कालू पि• मांगु जाति गुजर 1/4 व छोटू पु• मांगु3/4• सा• देहखसरा नं0 240, भूरा पु• लक्ष्मीनारायण, गुजर के नाम दर्ज है ।

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत खातेदारान/हितदारान को नोटिस दिनांक 23-2-91 व 14-3-91 को रजि•ए•डी• द्वारा ~~तामिल~~ प्रेषित कराया गया जिसकी रसीदे प्राप्त हो चुकी है जो मिसल शामिल है तथा दिनांक 23-2-91 को प्रेषित नोटिस ~~की~~ तामिल कुनिन्दा द्वारा खातेदारान/हितदारान के परिवार के वयस्क सदस्य को तामिल कराया गया जो उनके परिवार के साथ रहते है एवं समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका व नवभारत टाईम्स के माध्यम से दिनांक 20-3-91 को प्रकाशित कराया गया ।

दिनांक 25-3-91 को दावेदारान/हितदारान मु0 मांगी बेवा झूंगा व छोटू पु• मांगु की ओर से वकिल श्री सोहन सिंह शेखावत उपस्थित होकर वकालत नामा पेश किया, अन्य दावेदारान /हितदारान अनुपस्थित रहे । अपेक्षी गृह नि•स•स•की ओर से वकील श्री ओ•पी• जैन उपस्थित हुए । दोनों वकीलों द्वारा क्लेम पेश करने हेतु समय चाहा जो दिया गया । दिनांक 9-4-91 को दोनों वकीलों ने उपस्थित होकर क्लेम पेश करने हेतु फिर समय चाहा जो दिया गया । दिनांक 16-4-91 को वकील श्री सोहन सिंह उपस्थित होकर समय चाहा, दिया गया । अन्य दावादारान/हितादारा व समिति के वकील श्री ओ•पी• जैन अनुपस्थित रहे । व दिनांक 29-4-91 व 6-5-91, 25-5-91 तथा 1-6-91 को खातेदारान/हितदारान व समिति दोनों की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुए और ना ही कोई क्लेम पेश किया जिसके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई ।

मुकदमा नंबर 174/88, खारा नं0 241 रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा :-

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन मे खारा नं0 241, रामेश्वर पु॰काना हि॰ 1/2 भूरा पु॰ लक्ष्मीनारायण 1/2 के नाम दर्ज है । केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत खातेदारान/हितदारान को नोटिस दिनांक 23-2-91 को रजि॰ए॰डी॰ द्वारा तामील कराया गया जिसकी रसीदें प्राप्त हो चुकी है जो मिसल शामिल है तथा दिनांक 23-2-91 को ही तामिल कुनिन्दा द्वारा खातेदारान/हितदारान के परिवार के वयस्क सदस्य को तामिल कराया गया जो उनके परिवार के साथ रहते है एवं समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका व नवभारत टाइम्स के माध्यम से दिनांक 20-3-91 को प्रकाशित कराया गया ।

दिनांक 25-3-91 को दावेदारान/हितदारान मे रामेश्वर पु॰काना उपस्थित तथा समिति के वकील श्री ओ0पी0 जैन उपस्थित हुए दोनों ने क्लेम पेश हेतु समय चाहा जो दिया गया । दिनांक 9-4-91 को समिति के वकील श्री ओ0पी0 जैन उपस्थित होकर क्लेम पेश करने हेतु फिर समय चाहा, जो दिया गया । खातेदारान/हितदारान मे से कोई उपस्थित नहीं हुए । दिनांक 16-4-91, 29-4-91, 6-5-91, 25-5-91 व 1-6-91 को खातेदारान/हितदारान अपोलो गृह नि॰स॰स॰ दोनों की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुए और ना ही कोई क्लेम पेश किया जिनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई ।

मुकदमा नं0 175/88 खारा नं0 242, 00-15 बिस्वा, खारा नं0 243, 14बी॰ 04 बिस्वा॰

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन मे खारा नं0 242 व 243 रामनाथ पु॰ हरदेव हि॰ 2/3, तथा, रामचन्द्र, पि॰ हरदेव हि॰ 1/3 कौम रैगर के नाम दर्ज है । केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत खातेदारान/हितदारान को नोटिस दिनांक 23-2-91 को रजि॰ए॰डी॰ द्वारा तामील कराया गया जिसकी रसीदें प्राप्त हो चुकी है जो मिसल शामिल है तथा दिनांक 23-2-91 को ही तामिल कुनिन्दा द्वारा खातेदारान/हितदारान के परिवार के वयस्क सदस्य को तामिल कराया गया जो उनके परिवार के साथ रहते है एवं समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका व नवभारत टाईम्स के माध्यम से दिनांक 20-3-91 को प्रकाशित कराया गया ।

दिनांक 25-3-91 को अपोलो/गृह नगर नि॰स॰स॰ की ओर से वकील श्री ओ0पी0 जैन उपस्थित होकर क्लेम पेश करने हेतु समय चाहा जो दिया गया । अन्य खातेदारान /हितदारान तथा कोई वकील उपस्थित नहीं हुए । दिनांक 9-4-91 को समिति की ओर से वकील श्री ओ0पी0 जैन उपस्थित हुए और क्लेम पेश हेतु फिर समय चाहा, जो दिया गया । अन्य खातेदारान/हितदारान अनुपस्थित रहे । दिनांक 16-4-91, 29-4-91, 6-5-91, 25-5-91 व 1-6-91 को खातेदारान/हितदारान व समिति दोनों की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुए और ना ही कोई क्लेम पेश किया जिनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई ।

.......4..

मुकदमा नं0 176/88 खसरा नं0 244, 4बीघा 18 बिस्वा, खसरा नं0245 1बीघा 14 बिस्वा, खसरा नं0 246 04 बिस्वा, खसरा नं0247 13बीघा 01 बिस्वा।

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नं0 244, 245, 246 व 247 हरदेव पुत्र गंगाराम/गंगानाथ जाति रैगर के नाम दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत खातेदारान/हितदारान को नोटिस दिनांक 23-2-91 को रजि॰ ए॰डी॰ द्वारा ~~तामील~~ जारी ~~कराया~~ किया गया जिसकी रसीदें प्राप्त हो चुकी है जो मिसलशामिल है तथा दिनांक 23-2-91 को ही तामील कुनिन्दा द्वारा खातेदारान/हितदारान के परिवार के वयस्क सदस्य को तामील कराया गया जो उनके परिवार के साथ रहते है एवं समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका एवं नवभारत टाईम्स के माध्यम से दिनांक 20-3-91 को प्रकाशित कराया गया।

दिनांक 25-3-91 को अपोलो नगर गृ॰नि॰स॰स॰ की ओर से वकील श्री ओ0पी0 जैन उपस्थित होकर क्लेम पेश करने हेतु समय चाहा जो दिया गया अन्य खातेदारान/हितदारान तथा कोई वकील उपस्थित नहीं हुए। दिनांक 9-4-91 को समिति की ओर से वकील श्री ओ0पी0 जैन उपस्थित हुए और क्लेम पेश हेतु फिर समय चाहा, दिया गया। अन्य खातेदारान/हितदारान अनुपस्थित रहे। दिनांक 16-4-91, 29-4-91, 6-5-91, 25-5-91 व 1-6-91 को खातेदारान/हितदारान व समिति दोनों की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुए और ना ही कोई क्लेम पेश किया जिसके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 (1) के अन्तर्गत उपरोक्त मुकदमात सार्वजनिक नोटिस भी दिनांक 27-4-91 को दिया गया जो तामिल कुनिन्दा द्वारा दिनांक 2-5-91 को सम्बन्धित तहसील, पंचायत समिति, नोटिस बोर्ड व ग्राम पंचायत व सरपंच को दिये व चस्पा कराया।

__मुआवजा निर्धारण :-__

जैसा तक पृथ्वीराज नगर योजना में मुआवजा निर्धारण का प्रश्न है नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के आदेश क्रमांक प-6(15)नविआ/87 दिनांक 1-1-89 द्वारा मुआवजा की राशि निर्धारण करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक कमेटी का गठन शासन सचिव राजस्व विभाग की अध्यक्षता में किया गया था लेकिन उक्त कमेटी द्वारा पृथ्वीराज नगर योजना के 22 ग्रामों में से किसी भी ग्राम के मुआवजा की राशि का निर्धारण नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 353-355 द्वारा शासन सचिव नगरीय विकास तथा आवासन विभाग, जयपुर विकास आयुक्त महोदय, जविप्रा एवं सचिव जविप्रा को भी निवेदन भी किया गया था कि राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी में मुआवजा निर्धारण करने की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण कर ली जाए। इसके उपरान्त समय समय पर आयोजित मिटिंग्स में भी मुआवजा निर्धारण के लिए निवेदन किया गया लेकिन कमेटी द्वारा कोई मुआवजा निर्धारण अभी तक नहीं किया गया है।

इसी प्रकार जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पृथ्वीराज नगर योजना के 22 ग्रामों में स्थित भूमि के किसी भी खातेदार को बुला कर नेगोशियशन

....5.

नहीं किया गया ।

विभिन्न राज्यों के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर जो निर्णय कृषि भूमि के मुआवजे निर्धारण के बारे में प्रतिपादित किये है उन में कृषि भूमि के मुआवजे के निर्धारण का तरीका धारा-4 के गजट नोटि फिकेशन के समय रजिस्ट्रीयों द्वारा उस क्षेत्र में पंजीयन दर के अनुसार निर्धारण माना गया है । पृथ्वीराज नगर योजना में धारा-4 का गजट नोटिफिकेशन वर्ष 1988 को हुआ था (7-7-1988) इसलिए विभिन्न माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के परिपेक्ष में 7 जुलाई 1988 को विभिन्न उप पंजियकों के यहां पृथ्वी राज नगर योजना के क्षेत्र में भूमियों की रजिस्ट्रेशन की क्या दर थी उस पर विचार करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं रहता है ।

जहां तक उपरोक्त खसरा नं0 के खातेदारान/हितदारान को मुआवजा निर्धारण का प्रश्न है, उपरोक्त सभी मामलों में एक तरफा कार्यवाही होने के कारण एवं खातेदारान/हितदारान द्वारा कोई क्लेम पेश नहीं करने के कारण खातेदारान/हितदारान की ओर से मुआवजे की राशि की मांग का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

लेकिन नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत के अनुसार इस सम्बन्ध में जयपुर विकास प्राधिकरण जिसके लिए भूमि अवाप्ति की जा रही है का भी पक्ष ज्ञात किया गया । जयपुर विकास प्राधिकरण के सचिव ने पत्र क्रमांक टीडी-आर/91/336 दिनांक 3/6/91 द्वारा इस सम्बन्ध में सूचित किया कि धारा 4 के नोटिफिकेशन के समय ग्राम धावास में 14800/- रु0 प्रति बीघा के अनुसार भूमियों का पंजीयन हुआ था इसलिए जहां तक उनके पक्ष का सम्बंध है यह दर उचित है ।

हमने इस सम्बन्ध में उप पंजियक एवं तहसीलदार तहसील जयपुर के यहां से अपने स्तर पर भी जानकारी प्राप्त की तो ज्ञात हुआ कि धारा-4 के नोटिफिकेशन के समय भूमि की दर इससे अधिक नहीं थी । तहसीलदार (उत्तर) जयपुर ने अपने ड्र.ओ. नोट दिनांक 8-5-91 द्वारा उपपंजीयक जयपुर के यहां भी धारा 4 के नोटिफिकेशन के समय जमीन की विक्रय दर यही बताई है ।

लेकिन इस न्यायालय द्वारा पूर्व में भी इसी क्षेत्र के आसपास की भूमि की मुआवजा राशि 24,000/- रु0 प्रति बीघा की दर से अवार्ड जारी किये गये एवं जिनका अनुमोदन राज्य सरकार से भी प्राप्त हो चुका है । जयपुर विकास प्राधिकरण के अभिभाषक श्री के.पी. मिश्रा ने कोई लिखित में उत्तर नहीं दे कर मौखिक रूप से यह निवेदन किया है कि यदि मुआवजा राशि 24000/-रु0 प्रति बीघा की दर से तय की जाती है तो जयपुर विकास प्राधिकरण को कोई आपत्ति नहीं होगी क्योंकि कुछ समय पूर्व भी इसी न्यायालय द्वारा इस भूमि के आस-पास के क्षेत्र में 24000/-रु0 प्रति बीघा की दर से अवार्ड पारित किये गये है ।

अतः इस मामले में भी हम भूमि की मुआवजे राशि 24000/-रु0 प्रति बीघा की दर से दिया जाना उचित मानते है एवं हम यह भी मानते है कि धारा-4 के गजट नोटिफिकेशन के समय भूमि की कीमत यही थी ।

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम के अन्तर्गत अवार्ड पारित करने के लिए 2 वर्ष की समयावधि नियत है । लेकिन खातेदारान/हितदारान

....6

को धारा 9 व 10 के नोटिस तामिल, कुनिन्दा रजिस्ट्री ए०डी० एवं समाचार पत्र में प्रकाशन के बाद भी उपस्थित नहीं होना व क्लेम पेश नहीं करना इस बात का द्योतक है कि वे अपना कोई पक्ष प्रस्तुत नहीं करना चाहते। इसलिए एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

जहां तक पेड़, पौधे, तड़के, कुएं एवं भूमि पर के अन्य स्ट्रक्चर का प्रश्न है खातेदारान द्वारा कोई तखमीना पेश नहीं किया गया और ना ही जयपुर विकास प्राधिकरण। द्वारा तकनीकी रूप से अनुमोदित तखमीने पेश किये गये है। ऐसी स्थिति में स्ट्रक्चर [यदि कोई हो] के मुआवजे का निर्धारण नहीं किया जा रहा है। जिसका निर्धारण बाद में जविप्रा से तकनीकी अनुमोदित तखमीने प्राप्त होने पर विचार करके नियमानुसार निर्धारण। किया जावेगा।

हम इस भूमि के मुआवजे का निर्धारण तो 24000/-रु0 प्रति बीघा की दर से करते है लेकिन मुआवजे का भुगतान विधिक रूप से मालिकान हक सम्बन्धी दस्तावेज पेश करने पर ही दिया जावेगा। मुआवजे का निर्धारण परिशिष्ट "ए" के अनुसार जो इस अवार्ड का भाग है, के अनुसार निर्धारित किया जा रहा है।

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 23 [1-ए] एवं 23 [2] के अन्तर्गत मुआवजे की उपरोक्त राशि पर नियमानुसार 30 प्रतिशत सोलिशियम एवं 12 प्रतिशत अतिरिक्त राशि भी देय होगी। जिसका निर्धारण परिशिष्ट "ए" में मुआवजे की राशि के साथ दर्शाया गया है।

अतिरिक्त निदेशक [प्रथम] एवं सक्षम अधिकारी नगर भूमि एवं भवन कर विभाग ने अपने पत्र क्रमांक 918 दिनांक 31-5-91 द्वारा इस कार्यालय को सूचित किया गया है कि पृथ्वीराज नगर योजना के समस्त 22 ग्राम जयपुर नगर संकुल सीमा में सम्मिलित है एवं शहरी अधिनियम 1976 से प्रभावित है लेकिन उन्होंने यह सूचना नहीं दी है कि शहरी अधिनियम की धारा-10[3] की अधिसूचना प्रकाशित करवा दी है अथवा नहीं ऐसी स्थिति में अवार्ड केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम के अन्तर्गत पारित किये जा रहे है।

माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ जयपुर ने अपने आदेश दिनांक 4-6-91 मिसलेनियस सिविल स्टे एप्लीकेशन नं0 2764/91 [सिविल रिट पिटीशन नं0 3298/91] जयपुर नगर गृह निर्माण सहकारी समिति फाउन्डेशन बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान में यह स्थगन आदेश पारित किया था कि भूमि अवाप्ति अधिकारी राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प०6[15]/नविआ/पार्ट/85 दिनांक 25-5-91 [एनेक्चर-2] की अनुपालना किये बिना कोई अवार्ड पारित नहीं करेंगे। राज्य सरकार ने अपने आदेश क्रमांक प०6[15]नविआ/पार्ट/85 दिनांक 10-6-91 द्वारा अपने आदेश दिनांक 25-5-91 के संदर्भ में रिपोर्ट अवलोकन करने के उपरांत आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये है। ऐसी स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश स्वतः ही समाप्त हो जाता है।

यह अवार्ड आज दिनांक 11-6-91 को पारित कर राज्य सरकार को अनुमोदनार्थ प्रेषित किया जाता है।

भूमि अवाप्ति अधिकारी
(नगर विकास परियोजनाएं, जयपुर)

संलग्न : परिशिष्ट "ए" मय तालिका।

यह अवार्ड आज दिनांक 20/7/91 को राज्य सरकार के पत्र क्रमांक एफ 6 (15) नाविभा/87/पार्ट दिनांक 19/7/91 के द्वारा अनुमोदित होकर प्राप्त हुआ है। इस अवार्ड के खसरा नं० 237 व खसरा नं. 239 से 247 पर माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश है। अत: उक्त खसरा नं. 237 व खसरा नं. 239 से 247 का अवार्ड घोषित नहीं किया जा रहा है।

इस अवार्ड के खसरा नं० 238 पर माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं है। अत: खसरा नं. 238 का अवार्ड आज दिनांक 20/7/91 को सरेइजलास घोषित किया जाकर फाइल किया जाता है। सचिव न्यास को इस अवार्ड की एक प्रति भिजवा कर चैक के लिए लिखा जावे एवं 12(2) के नोटिस जारी हों।

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास परियोजनाएं,
जयपुर

परिशिष्ठ "ए" गणना तालिका ग्राम ध्या भ्रास

क्र.सं.	मुकदमा नं.	खातेदार/हितदार का नाम	खसरा नं0	रकबा बी-वि.	मुआवजे की दर	मुआवजे की राशि	सोलिशियम की राशि-30%	12% अतिरिक्त राशि	कुल योग
1.	173/88	मु. मांगी बेवा मूंगा मीणा हि. 1/2 भूरा पुत्र लक्ष्मी नारायण जाति गुजर हि. 1/2	237	10-11	24,000/-	2,53,200/-	75960/-	89036/-	4,18196/-
	--	श्रवण, नाथू, कालू पिता मांगू जाति गुजर हि. 1/4 व छोट पुत्र मांगू हि. 3/4	238	09-00					
	--	: . . .	239	07-18					
				16-18	" "	405600/-	121680/-	142627/-	6,69,907/-
	--	भूरा पुत्र लक्ष्मी नारायण गुजर सा. देह	240	16-00	" "	384000/-	1,15200/-	1,35031/-	634231/-
2.	174/88	रामेश्वर पुत्र काना हि. 1/2 भूरा पुत्र लक्ष्मी नारायण 1/2	241	12-10	" "	3,00,000/-	90,000/-	1,05,493/-	495493/-

3.	175/88	रामनाथ पुत्र हरदेव हि॰ 2/3 रुघा, राम चन्द्र पि॰ हरदेव 1/3 जाति रेगर॰	242 243	0-15 13-04 ----- 13-19	24,000/-	3,34,800/-	1,00,440/-	1,17,730/-	5,52,970/-
4.	176/88	हरदेव पुत्र गंगानाथ " " " "	244 245 246	04-18 01-14 00-04 ----- 06-16 -----	" "	1,63,200/-	48960/-	57388/-	269548/-
		हरदेव पुत्र गंगाराम क्षारा नं0 244	247	13-01	" "	3,13,200/-	93960/-	110135/-	517295/-
				89-15	--	21,54000/-	646200/-	757440/-	35,57,640/-

नोट-1 सोलेशियम 30% कालम न 6 पर मुआवजा राशि पर दिया गया है
2. अतिरिक्त राशि 12% की गणना 7-7-88 से (धारा 4(1) का गजट दिनांक 7-7-88 से 11-6-91 तक की गई है।

भूमि अवाप्ति अधिकारी,
जयपुर नगर परियोजनाएं, जयपुर
§ प्राधिकरण भवन, जयपुर §